

Ac (NE)

Pring

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

// अधिसूचना //

नया रायपुर, दिनांक 20 JUL 2017

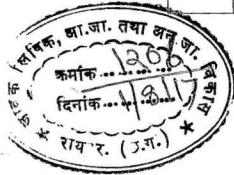
क्रमांक/एफ-19-45/2012/25-3, : : हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (कं. 25 सन् 2013) की धारा 36 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास नियम, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों के परिशिष्ट-दो में,-

शीर्षक "1. राज्य स्तरीय सर्वेक्षण समिति की संरचना" के अंतर्गत सरल क्रमांक 1, 2 एवं 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
1.	भारसाधक, सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़।	अध्यक्ष
2.	विभागाध्यक्ष, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़।	सदस्य सचिव
4.	भारसाधक सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छत्तीसगढ़।	सदस्य



छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(हस्ताक्षर)

(डी.डी.कुंजाम)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

आ.जा.तथा अनु.जा.वि.विभाग

// 2 / //

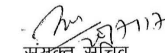
//2//

पृ०कमांक/एफ-19-45/2012/25-3,

नया रायपुर, दिनांक 20 JUL 2017

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. निज सचिव, समस्त माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़।
3. विशेष सहायक, मान.संसदीय सचिव, छ.ग.शासन, आदिम जाति तथा अनु.जाति विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. समस्त माननीय सदस्य, राज्य स्तरीय सर्वेक्षण समिति, छत्तीसगढ़।
5. माननीय अध्यक्ष राज्य अनुसूचित जाति आयोग के निज सचिव, रायपुर।
6. सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
7. मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समस्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
8. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
कृपया विभागीय वेबपेज में अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
9. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर।
10. समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़।
11. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी, भारतीय स्टेट बैंक, प्रशासनिक कार्यालय, बैरन बाजार, रायपुर।
12. नोडल अधिकारी, कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नया रायपुर।
13. राज्य नोडल अधिकारी, नगरीय प्रशासन एवं विकास छ.ग.रायपुर।
14. प्रबंध संचालक, छ.ग.राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त विकास निगम मर्यादित, नया रायपुर।
15. सचिव, छ.ग.राज्य अनुसूचित जाति आयोग रायपुर।
16. आदेश प्रति।


संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा.तथा अनु.जा.वि.विभाग

AC(LNR)

Mis

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

// अधिसूचना //

नया रायपुर, दिनांक 20 JUL 2017

क्रमांक/एफ-19-45/2012/25-3, : : हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (कं. 25 सन् 2013) की धारा 36 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास नियम, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों के परिशिष्ट-दो में,-

शीर्षक "1. राज्य स्तरीय सर्वेक्षण समिति की संरचना" के अंतर्गत सरल क्रमांक 1, 2 एवं 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
1.	भारसाधक, सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़।	अध्यक्ष
2.	विभागाध्यक्ष, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़।	सदस्य सचिव
4.	भारसाधक सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छत्तीसगढ़।	सदस्य



छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डी.डी.कुंजाम)

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा.तथा अनु.जा.वि.विभाग

// 2 //

// 2 //

पू0कमांक/एफ-19-45/2012/25-3,

नया रायपुर, दिनांक 20 JUL 2017

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. निज सचिव, समस्त माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़।
3. विशेष सहायक, मान.संसदीय सचिव, छ.ग.शासन, आदिम जाति तथा अनुजाति विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. समस्त माननीय सदस्य, राज्य स्तरीय सर्वेक्षण समिति, छत्तीसगढ़।
5. माननीय अध्यक्ष राज्य अनुसूचित जाति आयोग के निज सचिव, रायपुर।
6. सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
7. मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समस्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
8. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
कृपया विभागीय वेबपेज में अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
9. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर।
10. समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़।
11. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी, भारतीय स्टेट बैंक, प्रशासनिक कार्यालय, बैरन बाजार, रायपुर।
12. नोडल अधिकारी, कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नया रायपुर।
13. राज्य नोडल अधिकारी, नगरीय प्रशासन एवं विकास छ.ग.रायपुर।
14. प्रबंध संचालक, छ.ग.राज्य अत्यावसायी सहकारी वित्त विकास निगम मर्यादित, नया रायपुर।
15. सचिव, छ.ग.राज्य अनुसूचित जाति आयोग रायपुर।
16. आदेश प्रति।


संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा.तथा अनु.जा.वि.विभाग

Ac (CRR)

11/9/17

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
// संशोधन आदेश //

नया रायपुर, दिनांक 06 SEP 2017

क्रमांक एफ 19-45/25-3/2012/आजावि :: विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 03-03-2014 द्वारा हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास नियम 2013 के नियम 2 के उपनियम (ड.) के अधीन राज्य स्तरीय सर्वेक्षण समिति का गठन किया गया है।

विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20-07-2017 द्वारा राज्य स्तरीय सर्वेक्षण समिति की संरचना के अंतर्गत सरल क्रमांक 1, 2 एवं 4 में संशोधन किये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन एतद्वारा राज्य स्तरीय सर्वेक्षण समिति के गठन आदेश दिनांक 03-03-2014 में उल्लेखित सरल क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित करता है :-

1	भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आ.जा.तथा अनु.जाति विकास विभाग	अध्यक्ष
2	भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
3	भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	सदस्य
4	विभागाध्यक्ष, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास छत्तीसगढ़	सदस्य-सचिव

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एम.एम.भिज)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

आ.जा.तथा अनु.जा.वि.विभाग

नया रायपुर, 06 SEP 2017



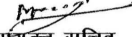
क्रमांक एफ 19-45/25-3/2012
प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय, नया रायपुर।
- 2- विशेष सहायक, सान. मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास, विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- 3- सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई-दिल्ली।
- 4- निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, राज्य अनुसूचित जाति आयोग।
- 5- संयुक्त सचिव, कार्यालय मुख्य सचिव, छ.ग.शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
- 6- अपर मुख्य सचिव, छोगशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- 7- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय विकास विभाग, नया मंत्रालय, रायपुर।
- 8- आयुक्त, आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास, ईद्रावती भवन, नया रायपुर।
- 9- संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, छत्तीसगढ़ रायपुर।
- 10- क्षेत्रीय निदेशक, जनगणना निदेशालय।
- 11- क्षेत्रीय महाप्रबंधक, दक्षिण-पूर्व-मध्य रेल, रेल परिक्षेत्र, बिलासपुर
- 12- नोडल अधिकारी, कार्यालय आयुक्त, आग जाग तथा अनु. जाग विकास, नया रायपुर।

//2//

// 2 //

- 13- संयुक्त, संचालक एवं राज्य नोडल अधिकारी, नगरीय प्रशासन एवं विकास
छ0ग0रायपुर ।
14- सुलभ इंटरनेशनल, रायपुर ।
15- श्री एन.के.मिश्रा, अध्यक्ष, सृजन समिति, शिवानंदनगर, सेक्टर-3, रायपुर ।
16- श्री गोपाल भारती, नगरपालिका निगम, रायपुर ।
17- श्रीमती उषा बघेल, नगरपालिका निगम, रायपुर ।
18- आदेश प्रति ।


संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा.तथा अनु.जा.वि.विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

-आदेश-

3 MAR 2014
रायपुर, दिनांक मार्च, 2014

क्रमांक/एफ-19-45/25-3/2012/आजावि : राज्य शासन, एतद् द्वारा, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास नियम, 2013 (The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Rules, 2013) के नियम 2 के उप नियम (ड.) के अधीन निम्नानुसार राज्य स्तरीय सर्वेक्षण समिति का गठन करता है :-

1	अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आ0 जा0 तथा अनु0 जा0 वि0 विभाग	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
3	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय विकास विभाग	सदस्य
4	आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास छत्तीसगढ़	सदस्य सचिव
4	संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, छत्तीसगढ़	सदस्य
5	क्षेत्रीय निदेशक, जनगणना निदेशालय	सदस्य
5	एस.ई.सी. रेल्वे, बिलासपुर के द्वारा नामांकित रेल्वे का एक प्रतिनिधि	सदस्य
6	सुलभ इंटरनेशनल, रायपुर के प्रतिनिधि	सदस्य
7	श्री एन के मिश्रा, अध्यक्ष, सृजन समिति, शिवानंदनगर, सेक्टर-3 रायपुर	सदस्य
8	श्री गोपाल भारती, नगरपालिका निगम, रायपुर	सदस्य
9	श्रीमती उषा बघेल, नगरपालिका निगम, रायपुर	सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनोज कुमार पिंगुआ)
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

3 MAR 2014

क. एफ-19-45/25-3/2012/आजावि : रायपुर, दिनांक मार्च, 2014

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
3. सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
4. माननीय अध्यक्ष, राज्य अनुसूचित जाति आयोग के निज सचिव
5. मुख्य सचिव के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर
6. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
7. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
8. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़, रायपुर
9. संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, छत्तीसगढ़
10. क्षेत्रीय निदेशक, जनगणना निदेशालय
11. क्षेत्रीय महाप्रबंधक, दक्षिण-पूर्व-मध्य रेल, रेल परिक्षेत्र, बिलासपुर
12. श्री संजय गौर, उपायुक्त, कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़, रायपुर
13. श्री एस के सुंदरानी, संयुक्त संचालक एवं राज्य नोडल अधिकारी नगरीय प्रशासन एवं विकास, छत्तीसगढ़ रायपुर
14. सुलभ इंटरनेशनल, रायपुर
15. श्री एन के मिश्रा, अध्यक्ष, सृजन समिति, शिवानंदनगर, सेक्टर-3, रायपुर
16. श्री गोपाल भारती, नगर पालिक निगम, रायपुर
17. श्रीमती उषा बघेल, नगर पालिक निगम, रायपुर
18. आदेश प्रति

(डॉ अनिल चौधरी)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग